



आयुक्त का कार्यालय, केन्द्रीय जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, गांधीनगर  
OFFICE OF THE COMMISSIONER CENTRAL G.S.T. & CENTRAL EXCISE,  
GANDHINAGAR  
सीमा-शुल्क भवन, आकाशवाणी के पास, नवरंगपुरा, अहमदाबाद-380009  
CUSTOM HOUSE, NEAR ALL INDIA RADIO, NAVRANGPURA, AHMEDABAD-380009  
Ph. 079-27542195, Fax: 27543676



व्यापार सूचना स 17/2017/केन्द्रीय जी.एस.टी.

**Trade Notice No. 17/2017/ Central GST**

विषय: केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा जारी अधिसूचना/ अधिसूचनाओं का प्रेषण ।

The following notifications issued by Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue (CBEC) is enclosed herewith for information and guidance of the trade and field formation. The Notifications are self-explanatory.

इसके साथ भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा जारी निम्नलिखित अधिसूचना/ अधिसूचनाओं की प्रतियां व्यापारियों व क्षेत्रीय संगठनों एवं संबंधित मंडल कार्यालयों, निर्धारण परिक्षेत्रों, मुख्यालय अनुभागों की जानकारी, मार्गदर्शन एवं आवश्यक उचित कार्यवाही तथा कार्यान्वयन के लिए संलग्न की जाती है।

क्रम	अधिसूचना / परिपत्र संख्या	दिनांक	फा संख्या
1	17/2017- Central Tax	27.07.2017	349/58/2017-GST

अधिसूचना/ अधिसूचनाएँ स्वतः स्पष्ट हैं।

Notification is self-explanatory.

All Trade Associations / Chamber of Commerce and the Members of the RAC / PGC are requested to bring this to the notice of their members / constituents.

सभी व्यापार सघ / वाणिज्य मूण्डल ओर क्षेत्रीय सलाहकार समिति / लोक शिकायत समिति के सदस्यों से यह अनुरोध किया जाता है कि वे इसे अपने सदस्यों / विनिमाताओं के ध्यान में ला दें।

All JDC/JAC of CGST, GANDHINAGAR are directed to bring this to the notice of all Range officers under their charge.

सभी उप आयुक्त / सहायक आयुक्त को निदेश दिये जाते हैं कि वे अपने प्रभार के सभी अधीनस्थ परिक्षेत्र अधिकारियों के ध्यान में ला दें।

*अमित सिंगल*  
04.08.17  
संयुक्त आयुक्त

केन्द्रीय जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क  
गांधीनगर

फा.सं. IV/16-21/MP/2017-TN

दिनांक : 01.08.2017

प्रतिलिपि प्रेषित: प्रशासनिक अधिकारी, केउशु, गांधीनगर को, विभागीय डाक सूची के अनुसार इस परिपत्र का परिसंचरण करने के लिए।

Copy to: Administrative Officer (ADM), CGST Gandhinagar.

2. The Superintendent, System, H.Q., CGST Gandhinagar to upload on website.



आयुक्त का कार्यालय, केन्द्रीय जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, गांधीनगर  
OFFICE OF THE COMMISSIONER CENTRAL G.S.T. & CENTRAL EXCISE,  
GANDHINAGAR  
सीमा-शुल्क भवन, आकाशवाणी के पास, नवरंगपुरा, अहमदाबाद-380003  
CUSTOM HOUSE, NEAR ALL INDIA RADIO, NAVRANGPURA, AHMEDABAD-380003  
Ph. 079-27542195, Fax: 27543676



व्यापार सूचना स 18/2017/ केन्द्रीय जी.एस.टी.

**Trade Notice No. 18/2017/ Central GST**

विषय: केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा जारी अधिसूचना/ अधिसूचनाओं का प्रेषण ।

The following notifications issued by Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue (CBEC) is enclosed herewith for information and guidance of the trade and field formation. The Notifications are self-explanatory.

इसके साथ भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा जारी निम्नलिखित अधिसूचना/ अधिसूचनाओं की प्रतियां व्यापारियों व क्षेत्रीय संगठनों एवं संबंधित मंडल कार्यालयों, निर्धारण परिक्षेत्रों, मुख्यालय अनुभागों की जानकारी, मार्गदर्शन एवं आवश्यक उचित कार्यवाही तथा कार्यान्वयन के लिए संलग्न की जाती है

क्रम	अधिसूचना / परिपत्र संख्या	दिनांक	फ़ा संख्या
1	18/2017- Central Tax	08.08.2017	349/74/2017-GST (Pt.)
2	19/2017- Central Tax	08.08.2017	349/74/2017-GST (Pt.)
3	20/2017- Central Tax	08.08.2017	349/74/2017-GST (Pt.)
4	21/2017- Central Tax	08.08.2017	349/74/2017-GST (Pt.)

अधिसूचना/ अधिसूचनाएँ स्वतः स्पष्ट है।

Notification is self-explanatory.

All Trade Associations / Chamber of Commerce and the Members of the RAC / PGC are requested to bring this to the notice of their members / constituents.

सभी व्यापार सघ / वाणिज्य मूण्डल और क्षेत्रीय सलाहकार समिति / लोक शिकायत समिति के सदस्यों से यह अनुरोध किया जाता है कि वे इसे अपने सदस्यों / विनिमाताओं के ध्यान में ला दें ।

All JDC/JAC of CGST, GANDHINAGAR are directed to bring this to the notice of all Range officers under their charge.

सभी उप आयुक्त / सहायक आयुक्त को निदेश दिये जाते है कि वे अपने प्रभार के सभी अधीनस्थ परिक्षेत्र अधिकारियों के ध्यान में ला दे।

*अमित सिंगल*

संयुक्त आयुक्त

केन्द्रीय जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क  
गांधीनगर